<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29022024-252477 CG-DL-E-29022024-252477

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] No. 120] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

### प्रसार भारती

# (भारतीय प्रसारण निगम)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फ़रवरी, 2024

- सं. ए-10/178/2012-पीपीसी/पीबीआरबी(2).—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) इसके तहत, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) सेवा की शर्तों और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकारी विनियम 2016 में संशोधन करने के लिए नामत: निम्नलिखित विनियम बनाता है:-
- 1 (1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) सेवा की शर्तें और अनुशासनात्मक प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की सेवा शर्तें और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के लिए प्राधिकारी विनियम, 2016 के विनियम 4 की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

1363 GI/2024 (1)

# सारणी

क्र.सं.	पदों का वर्गीकरण और	अनुशासनात्मक प्राधिकारी।	अपीलीय प्राधिकारी।	पुनरीक्षण प्राधिकारी।
	वेतन मैट्रिक्स में			
	स्तर ।			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	समूह 'क' के	प्रसार भारती बोर्ड के	एक समिति जिसमें	प्रसार भारती बोर्ड।
	समतुल्य,	कार्यकारी सदस्य या	निम्नलिखित शामिल हैं-:	
	वेतन मैट्रिक्स में	कार्यकारी सदस्य का पद	(i) अध्यक्ष, प्रसार भारती	
	लेवल-10 और	रिक्त होने या उनकी	बोर्ड या यदि अध्यक्ष	
	उस से ऊपर।	अनुपस्थिति में, प्रधान	का पद रिक्त है या	
		महानिदेशक, प्रेस सूचना	उनकी अनुपस्थिति	
		ब्यूरो, सूचना और प्रसारण	में, प्रधान	
		मंत्रालय, या यदि दोनों पद	महानिदेशक,	
		रिक्त हैं, या दोनों की	समाचार सेवा प्रभाग,	
		अनुपस्थिति में, प्रधान	आकाशवाणी या	
		महानिदेशक, केंद्रीय संचार	दोनों पदों के रिक्त	
		ब्यूरो,  सूचना और प्रसारण	होने के मामले में या	
		मंत्रालय अनुशासनात्मक	दोनों की अनुपस्थिति	
		प्राधिकारी होंगे ।	में प्रधान	
			महानिदेशक, दूरदर्शन	
			समाचार - अध्यक्ष;	
			(ii) सदस्य (वित्त), प्रसार	
			भारती बोर्ड या	
			सदस्य (वित्त) का पद	
			रिक्त होने या उनकी	
			अनुपस्थिति में,	
			महानिदेशक (अस्तरकार)	
			(आकाशवाणी) या	
			महानिदेशक (कार्यक्र) स	
			(दूरदर्शन) या	
			महानिदेशक,	
			समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या	
			आकाशवाणा या महानिदेशक, दूरदर्शन	
			महाानदशक, दूरदशन समाचार या संयुक्त	
			समाचार या संयुक्त सचिव, सूचना और	
			प्रसारण मंत्रालय -	
			त्रसारण मत्रालय - सदस्य;	
			राषरभ,	
			(iii) सदस्य (कार्मिक),	
			प्रसार भारती बोर्ड या	
			सदस्य (कार्मिक) का	
1			ायरच (नगासम्) यग	

	T			
2.	समूह 'ख 'के समतुल्य, वेतन मैट्रिक्स में लेवल -6 से लेवल -9।	(i) आकाशवाणी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (आकाशवाणी) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (दूरदर्शन) या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या एसे मामले में जहां सभी पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं या सभी की अनुपस्थिति में प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे;	पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय - सदस्य। प्रसार भारती बोर्ड के कार्यकारी सदस्य या कार्यकारी सदस्य या कार्यकारी सदस्य वा पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपीलीय प्राधिकारी होंगे।	प्रसार भारती बोर्ड।
		(ii) दूरदर्शन में तैनात अधिकारियों और		

		कर्मचारियों के लिए,			
		महानिदेशक (दूरदर्शन)			
		या महानिदेशक			
		(दूरदर्शन) का पद रिक्त			
		होने या उनकी			
		अनुपस्थिति में,			
		महानिदेशक <u> </u>			
		(आकाशवाणी) या यदि			
		दोनों पद रिक्त हैं, या			
		दोनों की अनुपस्थिति में,			
		प्रधान महानिदेशक,			
		दूरदर्शन समाचार या			
		महानिदेशक, दूरदर्शन			
		समाचार या यदि सभी			
		पूर्व वर्ती पद रिक्त हैं, या			
		सभी की अनुपस्थिति में,			
		प्रधान महानिदेशक,			
		समाचार सेवा प्रभाग,			
		आकाशवाणी या			
		महानिदेशक, समाचार			
		सेवा प्रभाग,			
		आकाशवाणी,			
		अनुशासनात्मक			
		प्राधिकारी होंगे;			
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		(iii)			
		्रासार भारती			
		सचिवालय, में तैनात			
		अधिकारियों और			
		कर्मचारियों के लिए			
		सदस्य (कार्मिक), प्रसार			
		भारती बोर्ड या सदस्य			
		(कार्मिक) का पद रिक्त			
		होने या उनकी			
		अनुपस्थिति में, प्रसार			
		भारती बोर्ड के सदस्य			
		(वित्त) या यदि दोनों पद			
		रिक्त हैं, या दोनों की			
		अनुपस्थिति में, संयुक्त			
		सचिव, सूचना और			
		प्रसारण मंत्रालय			
		अनुशासनात्मक			
		प्राधिकारी होंगे।			
3.	समूह 'ग' के	(i) स्टेशनों या केंद्रों पर	(i)	किसी स्टेशन या	(i) आकाशवाणी में तैनात
	समतुल्य, वेतन	रें तैनात कर्मचारियों के	( )	केंद्र में तैनात	ें कर्मचारियों के लिए,

## मैट्रिक्स में लेवल-1 से लेवल-5।

लिए, वरिष्ठ समयमान या उससे ऊपर के स्तर के स्टेशन या केंद्र प्रमुख या यदि स्टेशन प्रमुख या केंद्र प्रमुख का पद खाली है या उनकी अनुपस्थिति में या अधिकारी वर्तमान ड्युटी प्रभार धारण कर रहा है या अधिकारी वरिष्ठ समयमान से नीचे है, उसी जोन में किसी अन्य स्टेशन या केंद्र पर वरिष्ठ समयमान या उस से ऊपर के स्तर के स्टेशन प्रमुख या केंद्र प्रमुख अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे;

(ii) प्रसार भारती के किसी अन्य प्रतिष्ठान में तैनात कर्मचारियों के लिए वरिष्ठ समयमान या उस से ऊपर के स्तर के अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।

कर्मचारियों के लिए, संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक या संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक का पद रिक्त है या उनकी अनुपस्थिति में या संबंधित क्षेत्रीय अपर महानिदेशक के पद का पदधारी वर्तमान ड्यूटी प्रभार पर है या पद पर नहीं है, तो अपर महानिदेशक. आकाशवाणी या अपर महानिदेशक, दूरदर्शन, जैसा भी मामला हो, जो उस क्षेत्र के कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे है, अपीलीय प्राधिकारी होंगे;

(ii) प्रसार भारती के किसी अन्य प्रतिष्ठान में तैनात कर्मचारियों के लिए अपर महानिदेशक स्तर के अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी होंगे।

महानिदेशक (आकाशवाणी) या महानिदेशक (आकाशवाणी) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (दूरदर्शन) या यदि दोनों पद रिक्त हैं. या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग. आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या ऐसे मामले में जहां सभी पूर्ववर्ती पदरिक्त हैं या सभी की अनुपस्थिति में प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या महानिदेशक, दुरदर्शन समाचार, पुनरीक्षण प्राधिकारी होंगे;

- (ii) दूरदर्शन में तैनात कर्मचारियों के लिए, महानिदेशक (दूरदर्शन) या महानिदेशक (दुरदर्शन) का पद रिक्त होने या उनकी अनुपस्थिति में, महानिदेशक (आकाशवाणी) या यदि दोनों पद रिक्त हैं, या दोनों की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, दूरदर्शन समाचार या महानिदेशक, दुरदर्शन समाचार या यदि सभी पूर्ववर्ती पद रिक्त हैं, या सभी की अनुपस्थिति में, प्रधान महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी या महानिदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, पुनरीक्षण प्राधिकारी होंगे;
- (iii) प्रसार भारती सचिवालय में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य (कार्मिक) या सदस्य

		(कार्मिक) का पद रिक्त होने
		या उनकी अनुपस्थिति में
		प्रसार भारती बोर्ड के
		सदस्य (वित्त) या दोनों
		पदों के रिक्त होने या दोनों
		की अनुपस्थिति में संयुक्त
		सचिव, सूचना और
		प्रसारण मंत्रालय पुनरीक्षण
		प्राधिकारी होंगे।"

शशि कांत, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./775/2023-24]

टिप्पणी: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4, में दिनांक 23 नवंबर, 2016 को संख्या ए -10/178/2012-पीपीसी द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

#### PRASAR BHARATI

### (Broadcasting Corporation of India)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2024

**No.** A-10/178/2012-PPC/PBRB(2).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (5) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act 1990 (25 of 1990), the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) hereby makes the following regulations to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Conditions of Service and Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations, 2016, namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Conditions of Service and Authorities for Disciplinary Proceedings (Amendment) Regulations, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Conditions of Service and Authorities for Disciplinary Proceedings Regulations, 2016, in regulation 4, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

#### "TABLE

Sl. No.	Classification	Disciplinary Authority.	Appellate Authority.	Revising Authority.
	of posts and			
	level in pay			
	matrix.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Equivalent to	Executive Member of the	A committee consisting	Prasar Bharati Board.
	Group 'A',	Prasar Bharati Board or in	of:-	
	level-10 and	case the post of Executive	(i) Chairman, Prasar	
	above in the	Member is vacant or in his	Bharati Board or in	
	pay matrix.	absence, the Principal	case the post of	
		Director General, Press	Chairman is vacant or	
		Information Bureau,	in his absence, the	
		Ministry of Information and	Principal Director	
		Broadcasting, or in case	General, News Service	
		where both the posts are	Division, Akashvani,	
		vacant, or in the absence of	or in case where both	
		both, the Principal Director	the posts are vacant, or	

		Community Company 1 P	141	
		General, Central Bureau of	in the absence of both,	
		Communication, Ministry	the Principal Director	
		of Information and	General, Doordarshan	
		Broadcasting, shall be the	News -Chairperson;	
		Disciplinary Authority.	(ii) Member (Finance),	
			Prasar Bharati Board	
			or in case the post of	
			Member (Finance) is	
			vacant or in his	
			absence, the Director	
			General (Akashvani)	
			or the Director	
			General	
			(Doordarshan) or the	
			Director General,	
			News Service	
			Division, Akashvani	
			or the Director	
			General, Doordarshan	
			,	
			News or Joint	
			Secretary, Ministry of	
			Information and	
			Broadcasting -	
			Member;	
			(iii) Member (Personnel),	
			Prasar Bharati Board	
			or in case the post of	
			Member (Personnel) is	
			vacant or in his	
			absence, the Director	
			General (Akashvani)	
			or the Director	
			General	
			(Doordarshan) or the	
			Director General,	
			News Service	
			Division, Akashvani	
			or the	
			Director General,	
			Doordarshan News or	
			Joint Secretary,	
			Ministry of	
			Information and	
			Broadcasting -	
			Member.	
2.		(i) for officers and	Executive Member of the	Prasar Bharati Board.
	Group 'B',	employees posted in	Prasar Bharati Board or in	
	level-6	Akashvani, the Director	case the post of Executive	
	to level-9 in	General (Akashvani) or	Member is vacant or in his	
	the	in case the post of	absence, the Principal	
	pay matrix.	Director General	Director General, Press	
	Pay manix.	(Akashvani) is vacant or	Information Bureau,	
		` ′	,	
		in his absence, the	Ministry of Information	
		Director General	and Broadcasting, or in	
		(Doordarshan) or in case	case where both the posts	
		where both the posts are	are vacant, or in the	
		1	1 1 6 1 4 4	1
		vacant, or in the absence	absence of both, the	
		of both, the Principal	Principal Director	

Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, News Service Division, Akashvani or in case where all the preceding posts are vacant or in the absence of all, the Principal Director General, Doordarshan News or the Director General, Doordarshan News, shall be the Disciplinary officers

General, Central Bureau of Communication, Ministry of Information and Broadcasting, shall be the Appellate Authority.

- Authority; (ii) for and employees posted in Doordarshan, the Director General (Doordarshan) or in case the post of Director General (Doordarshan) is vacant or in his absence, the Director General (Akashvani) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Doordarshan News or Director General, Doordarshan News or in case where all the preceding posts are vacant, or in the absence of all, the Principal Director General, News Division, Service Akashvani or the Director General, News Service Division, Akashvani, shall be the
- Disciplinary Authority; (iii) for officers and employees posted in Bharati Prasar Secretariat, Member (Personnel), Prasar Bharati Board or in case the post of Member (Personnel) is vacant or in his absence, Member (Finance), Prasar Bharati Board or in case where both the posts are vacant, or in the absence

		of both, Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, shall be the Disciplinary Authority.			
3.	Equivalent to Group 'C', level-1 to level-5 in the pay matrix.	(i) for employees posted at Stations or Kendras, the Station or the Kendra Head of the level of Senior Time Scale or above or in case the post of Station Head or Kendra Head is vacant or in his absence or the officer is holding current duty charge or the officer is a level below the Senior Time Scale, Station Head or Kendra Head of the Senior Time Scale or above level at another Station or Kendra in the same Zone shall be the Disciplinary Authority;  (ii) for the employees posted at any other establishment of Prasar Bharati, Officer of the level of Senior Time Scale or above, shall be the Disciplinary Authority.	(ii)	for employees posted at a Station or Kendra, the Zonal Additional Director General concerned or in case the post of Zonal Additional Director General concerned is vacant or in his absence or the incumbent of the post of Zonal Additional Director General concerned is on current duty charge or is not in position, the Additional Director General, Akashvani or the Additional Director General, Doordarshan, as the case may be, who is supervising the work of that Zone, shall be Appellate Authority; for the employees posted at any other establishment of Prasar Bharati, Officer of the level of Additional Director General, shall be Appellate Authority.	(i) For employees posted in Akashvani, the Director General (Akashvani) or in case the post of Director General (Akashvani) is vacant or in his absence, the Director General (Doordarshan) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, News Service Division, Akashvani or the Director General, News Service Division, Akashvani or in case where all the preceding posts are vacant or in the absence of all, the Principal Director General, Doordarshan News or the Director General, Doordarshan News, shall be the Revising Authority; for employees posted in Doordarshan, the Director General (Doordarshan) or in case the post of Director General (Doordarshan) is vacant or in his absence, the Director General (Akashvani) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Doordarshan) or in case where both the posts are vacant, or in the absence of both, the Principal Director General, Doordarshan News

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 10

		or the Director
		General,
		Doordarshan News
		or in case where all
		the preceding posts
		are vacant, or in the
		absence of all, the
		Principal Director
		General, News
		Service Division,
		Akashvani or the
		Director General,
		News Service
		Division, Akashvani,
		shall be the Revising
		Authority;
	(1	ii) for employees
		posted in Prasar
		Bharati Secretariat,
		Member (Personnel),
		Prasar Bharati Board
		or in case the post of
		Member (Personnel)
		is vacant or in his
		absence, Member
		(Finance), Prasar
		Bharati Board or in
		case where both the
		posts are vacant, or
		in the absence of
		both, Joint Secretary,
		Ministry of
		Information and
		Broadcasting, shall
		be the Revising
		Authority.".

SHASHI KANT, Addl. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./775/2023-24]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* number A-10/178/2012-PPC, dated 23<sup>rd</sup> November, 2016.